न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 19/2020/अपील

1. रतनकंवर पत्नि स्व. गिरवर सिंह जाति राजपुत निवासीनी बासडी खुर्द तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

--अपीलार्थिया

ब ना म

1. रणवीर सिंह पुत्र स्व0 लिछमण सिंह तथाकथित दत्तक पुत्र मानसिंह जाति राजपुत निवासी बासड़ी खुर्द तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। हाल अंकित फर्निचर ए--64, सरना पंचायत के पास बैनाड़ रोड़ खोरा जयपुर।
2. जुगल कंवर पुत्री स्व0 मानसिंह पत्नी श्री भगवान सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बासड़ी खुर्द तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल जे.एल.एन. मार्ग एफ--37 मालवीय नगर जयपुर।
3. ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. तहसीलदार तहसील कार्यालय दांतरामगढ जिला सीकर।

--रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 39 दिनांकित 01.05.2003
बतस्दीक ग्राम रलावता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति--

1. श्री सागरमल मीणा वकील अपीलार्थिया की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

निर्णय   दिनांक-- **17.02.2021**

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या 29 जिनके खसरा नम्बर 478/823, 478/827, 479/822, 479/828, 552/824 किता 5 कुल रकबा 0.57 है0 एवं खाता संख्या 47 जिनके खसरा नम्बर 245, 246 किता 2 कुल रकबा 3.62 है0 व खाता संख्या 48 जिनके खसरा नम्बर 367, 386, 671, 72, 673 किता 5 कुल रकबा 7.40 है0 वाके ग्राम बासड़ी खुर्द प0ह0 जीणमाता तहसील दांतारामगढ जि... सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त आराजी पैतृक कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार मानसिंह था

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

जिसकी मृत्यु दिनांक 25.10.1998 को हो गई। मानसिंह की मृत्यु के बाद उनके लिगल तीन वारिसों में से एक वारिस ने ग्राम पंचायत रलावता से मिलीभगत कर गलत वारिसान प्रमाण पत्र व फर्जी गोदनाम प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने आपको दत्तक पुत्र बताते हुए प्राप्त कर अपीलान्ट को मानसिंह का वारिस नहीं दिखाकर विरासत नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट ने अपने पक्ष में भरवा लिया गया व नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 01.05.2003 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये। उक्त गलत व फर्जी नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 25.10.2020 को होने पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है 1. योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की आज्ञा और जैर अपील दिनांक 01.05.2003 सर्वथा गलत विरूद्ध वास्तविकता होने से निरस्त होने योग्य है। 2. अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

मानसिंह

कमल कंवर	गिरवरसिंह	जुगल कंवर
पत्नि फौत	रतन कंवर (पत्नि) पुत्र फौत	पुत्री

मृतक मानसिंह के लिगल वारिस के रूप में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स है किन्तु रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 2 ने ग्राम पंचायत रलावता व पटवारी हल्का जीणमाता से मिलीभगत कर अपीलान्ट को मृतक मानसिंह का लिग्ल वारिस नहीं दर्शाते हुए गलत रूप से नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 01.05.2003 को अपने पक्ष तस्दीक करवाकर मृतक मानसिंह की पैतृक कृषि भूमि में 1/2, 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त कर ली गयी जो कि कतई गतल है कानूनी विरूद्ध है जिसको निरस्त फरमाया जावे। 3. योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत अपीलान्ट को बिना किसी सूचना के व बिना किसी सुनवाई के नामान्तकरण संबंधी नियमों की पालना किये बिना ही नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 01.05.

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

2003 को भरा जाकर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 2 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण आज्ञा जेर अपील व नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 01.05.2003 निरस्त किये जाने योग्य है। 4. दिनांक 06.11.2020 को उक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त की उसके बाद अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर विधिक राय लेकर अपील तैयार करवा कर नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 06.11.2020 से सादर प्रस्तुत है। उक्त अवधि अपीलान्ट ने जानबुझकर नहीं निकाली बल्कि अपीलान्ट की जानकारी में नामान्तकरण संबधी कार्यवाही की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त अवधि निकली है जिसको कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद ली जाकर सुनवाई की जावे यदि अपील को अन्दर मियाद नहीं लिया गया तो अपीलान्ट के हक व अधिकार खत्म हो जायेगे तथा अपीलान्टस को न्याय नहीं मिल पायेगी। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलार्थिया स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 39 दिनांकित 01.05.2003 बतस्दीक ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ खारिज फरमाया जाकर अपीलार्थिया के नाम सें नामांतकरण भरने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 स्वयं ने हाजिर होकर आवेदन अपील में अनापत्ती किये जाने हेतु पेश किया जिसमें कथन किया की अप्रार्थी संख्या 1 रणवीरसिंह ने पटवार हल्का व ग्राम पंचायत से मिली भगत कर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 39 को निरस्त कर पुनः जांच कर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाये जाते है तो मेरे को कोई आपति नहीं है तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील अपीलांट पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपीलाधीन

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

नामांतकरण गलत तरीके से बिना वारिशान की जांच किये तथा कब्जे की जांच किये तथा अपीलार्थियों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत रलावता द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 39 दिनांकित 01.05.2003 को निरस्त फरमाया जावे।

3. अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रलावता द्वारा तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिक वारिशान, कब्जे आदि की जांच किये तस्दीक किया गया है जो निरस्तनीय है।

अपीलांट की ओर से दफा 5 मियाद परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश किया है तथा अपीलांट स्व0 मानसिंह का पुत्र गिरवरसिंह (फोत) की पत्नि वैध वारिस है अतः अपीलांट को मियाद के बिन्दू पर न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है तथा ग्राम पंचायत रलावता द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिवत वारिशान की जांच किये ही तस्दीक किया गया है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामांतरण संख्या 39 दिनांक 01.05.2003 द्वारा ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना से अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ